२१/12/२२ अधिवक्तागण उपस्थित। ग्राम पंचायत से तत्काल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक २२/१२/२०२२ को पेश हो।

२२/12/२२ अधिवक्तागण उपस्थित। अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 LR Act भली-भांति साबित होने पर स्वीकार की जाती है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्री करणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 05/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मैसर्स मोहन सन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड, एल बी 100 गणपति प्लाजा एम. आई. रोड, जयपुर जरिये डायरेक्टर रूकसाना पुत्री सज्जाद अली निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल– एल बी 100 गणपति प्लाजा एम. आई. रोड, जयपुर (राजस्थान)		1. सरपंच, ग्राम पंचायत मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. रजनीश गर्ग पुत्र सुभाष चन्द गर्ग जाति अग्रवाल साकिन भीम निवास प्लॉट नम्बर 39 बडी धानमण्डी, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम- 1956

तारीख रजू:- 07.11.2022

उपस्थित: 1.श्री रोशन लाल राठौड, रवि कालडा अपीलांट अधिवक्ता

2. श्री संजय गुप्ता, कुलदीप बाना रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अधिवक्ता

--निर्णय-- **दिनांक: २२.12.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मैसर्स मोहन सन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड, एल बी 100 गणपति प्लाजा एम. आई. रोड़, जयपुर द्वारा चक 1 यू. के खाता संख्या पुराना 55/53, 65/64 नया खाता संख्या 67/65 के मुरब्बा नम्बर 62 की 3.795 हैक्टेयर नहरी भूमि में से 3/4 हिस्सा यानि 2.846 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 06.06.2007 को उसके पूर्व स्वामी फर्म लक्ष्मी जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, केसरीसिंहपुर के पार्टनर से क्रय की थी उक्त दस्तावेज बैयनामा उपपंजीयक कार्यालय, केसरीसिंहपुर में दिनांक 06.06.2007 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 920 में पृश्ठ संख्या 41 की क्रम संख्या 2007003304 पर पंजीबद्ध किया जाकर, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1167 के पृश्ठ संख्या 197 से 202 पर चस्पाशुदा है तथा क्रय की दिनांक से अपीलाण्ट/कम्पनी का कब्जा बिना किसी अवरोध या बाधा के निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। मगर अपीलान्ट/कम्पनी मैसर्स मोहन सन एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड व रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाष चन्द गर्ग पार्टनर मैसर्स लक्ष्मी जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, केसरीसिंहपुर व अन्य का सम्पत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद हो गया, जिस बावत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक एस बी Exeution प्रथम अपील संख्या 4/2019 सन 2019 विचाराधीन है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा Till than both the parties shall maintain status quo regarding the preoperty in question आदेश दिनांक 16.07.2019 को पारित किया हुआ है। जिसकी जानकारी राजस्व अधिकारियों व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भलीभांति थी, इसके बावजूद [illegible] मलकाना कलां द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के [illegible] करते हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 2 [illegible] संख्या 2 [illegible] सुभाष चन्द को अनुचित लाभ कमाने के आशय से राजस्व कर्मचारियों के साथ [illegible] करके, अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 20.08.2019 स्वीकृत कर दिया, जो [illegible] खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स का उक्त कृत्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में भी आता है, जिसके लिए अपीलाण्ट/कम्पनी द्वारा अलग से कन्टेपट की कार्यवाही की जा रही है। इन्तकाल संख्या 442 स्वीकृत होने के प्रभाव से उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाष चन्द गर्ग के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गयी तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने अपने पिता से उक्त भूमि की तथाकथित वसीयत अपने पक्ष में करवा ली तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाष चन्द गर्ग का दिनांक 08.07.2020 को देहान्त होने के पश्चात उक्त भूमि का इन्तकाल संख्या 455 वसीयत दिनांक 02.09.2020 अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम से दर्ज है। चूंकि इन्तकाल संख्या 442 ही प्रारम्भ से शून्य इन्तकाल है, इसके आधार पर वसीयतकर्ता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं था तो इन्तकाल संख्या 455 स्वतः ही शून्य हो जाता है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट/कम्पनी का क्रय की दिनांक से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कब्जा की एवं मामले की अच्छे तरीके से जांच की जानी चाहिए थी तथा हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस दिया जाना चाहिए था। मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट/कम्पनी को कोई किसी प्रकार की सुनवाई का नोटिस/अवसर प्रदान नहीं किया और ना ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया, बल्कि उसने गुप चुप तरीके से अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत किया है, जिसे स्वीकृत करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया गया उक्त कृत्य घोर लापरवाही का द्योतक है तथा पद के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है। इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय न्यायालय जोधपुर के आदेश की प्रतिलिपि सहित प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार केसरीसिंहपुर को प्रस्तुत किया हुआ है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट व अन्य राजस्व कर्मियों को स्थगन की भली भांति जानकारी थी, इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अधीनस्थ कर्मचारियों ने विधि में दिए गए प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, मात्र अनुचित लाभ कमाने के आशय से विवादास्पद भूमि का इन्तकाल अमल दरामद कर दिया है। इसलिए अपीलाण्ट/कम्पनी को अंदेशा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उक्त अनुचित इन्तकाल की आड़ में उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की तैयारी में हैं। इसलिए अपीलाण्ट/कम्पनी इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है कि अपील के निस्तारण तक प्रश्नगत भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अपीलान्ट दिनांक 08.10.2022 को उप तहसील क्षेत्र केसरीसिंहपुर में अपने किसी निजी कार्य से आयी थी तथा उपतहसील क्षेत्र केसरीसिंहपुर में आने के उपरान्त अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि वर्तमान में रजनीश गर्ग के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इस प्रकार अपीलाण्ट/कम्पनी को अपीलाधीन इन्तकाल की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08.10.2022 को प्राप्त हुई। इसलिए जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न अपील है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे तथा इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 20.08.2019 सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से ग्राम पंचायत [illegible] संख्या 442 के कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश हुई। सामिल [illegible] की। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय गुप्ता, [illegible] बाना उपस्थित [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से लिखित बहस मय सूची अनुसार दस्तावेज पेश [illegible] वहस में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा निवदेन किया कि न्यायालय अपर जिला न्याया[illegible] मुकाम श्रीकरणपुर के प्रकरण संख्या 48/2007 अनवान सुभाष गर्ग बनाम भीमसैन आदि निर्णय मय डिक्री दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध मैसर्स मोहन सन्स एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड एफ 47 मालवीय इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर जरिए भीमसेन गर्ग के द्वारा एक अपील राजस्थान उच्च

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जोधपुर में अपील संख्या 394/2017 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.08.2018 को उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया। इसके पश्चात एक द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 864/2019 माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 26.04.2019 को खारिज फरमाया गया। वर्तमान में उक्त सम्पति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर के निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.05.2017 की पालना में माननीय न्यायालय द्वारा ही उक्त भूमि का बैयनामा सुभाष गर्ग के हक में निष्पादित करवाया गया। मुझ रेस्पोडेन्ट के पिता सुभाष गर्ग द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत निष्पादित की गई थी, उक्त वसीयत के मुताबिक उक्त सम्पति का वारिस मुझ रेस्पोडेन्ट को घोषित किया गया था। सुभाष गर्ग की मुत्यू के पश्चात उक्त भूमि का विधिवत इन्तकाल मुझ रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज किया गया है। अतः लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपीलान्ट की अपील भारी हर्जाने पर खारिज फरमायी जावे।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा इन्तकाल सख्या 442 दिनांक 20.08.2019 चक 1 यू प्रमाणित प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां के कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी Exeution प्रथम अपील संख्या 4/2019 के आदेश दिनांक 16.07.2019 की प्रमाणित प्रति, बैयनामा दिनांक 06.06.2007 की प्रति, चक 1 यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 67/65 की प्रति, इन्तकाल सख्या 455 दिनांक 02.09.2020 चक 1 यू की प्रमाणित प्रति, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश मुकाम श्रीकरणपुर के प्रकरण संख्या 48/2007 अनवान सुभाष गर्ग बनाम भीमसैन आदि, दावा बाबत संविदा दिनांक 24.05.2006 की विनिर्दिष्ट पालना, निर्णय दिनांक 30.05.2017 की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत 27 एफ कमीनपुरा के प्रमाण पत्र की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी सिविल प्रथम अपील संख्या 394/2017 के निर्णय दिनांक 13.08.2018 की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र 864/2019 के निर्णय दिनांक 26.04.2019 की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 62 की 3.795 हैक्टेयर नहरी भूमि के संबध में ग्राम पंचायत मलकाना कला द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 20.08.2019 को खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया है। चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 2 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 हैक्टेयर नहरी भूमि संबध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में एक एस बी Exeution प्रथम अपील संख्या 4/2019 सन 2019 में Till than both the parties shall maintain status quo regarding the preoperty in question स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2019 को पारित किया हुआ था। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 67/65 के मुरब्बा नम्बर 62 की 3.795 हेक्टैयर भूमि जो [illegible] पुत्र सुभाष चन्द गर्ग के नाम दर्ज है, में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान [illegible] स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2019 का नोट अंकित है। ग्राम पंचायत [illegible] कला पंचायत [illegible] श्रीकरणपुर के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार दिनांक 20.08.2019 [illegible] गुरशपिन्द्र कौर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमे प्रस्ताव संख्या [illegible] बैयनामा इन्तकाल संख्या 442 सर्वसम्मति से पारित किया गया अंकित है। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत मलकाना कलां के द्वारा उक्त भूमि के बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता सुभाष गर्ग के पक्ष में इन्तकाल संख्या 442 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:56 IST
Reason: SelfAttested

20.08.2019 को स्वीकृत किया गया है। इसके उपरान्त सुभाष गर्ग के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रजनीश गर्ग के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत इन्तकाल संख्या 455 दिनांक 02.09.2019 स्वीकृत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2019 के प्रभावी होने के बावजूद भी उक्त इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 20.08.2019, इन्तकाल संख्या 455 दिनांक 02.09.2019 को स्वीकृत किया गया है। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। सविधान के अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। अर्थात उच्चतम न्यायालय के विनिश्चत सभी अधीनस्थ न्यायालयों एंव उच्च न्यायालयों पर आबद्धकर है। उनको नकारने का न्यायिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। जिस राज्य में अधीनस्थ न्यायालय स्थित है उस राज्य के उच्च न्यायालय का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के लिए आबद्धकर है। अगर संदर्भित तथ्यों के अनुक्रम में उस राज्य के उच्च न्यायालय का दृष्टांत उपलब्ध नहीं है तो अन्य राज्य के उच्च न्यायालय का विनिश्चिय भी मानने योग्य है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में चक 1 यू के मुरब्बा नम्बर 62 की 3.795 हेक्टैयर भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2019 के प्रभावी होने के बावजूद ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 20.08.2019 को खारिज किया जाना हम उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट विरूद्व इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 20.08.2019 चक 1 यू, भली-भांति साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर को चक 1 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर के मुरब्बा नम्बर 62 की 3.795 हेक्टैयर भूमि में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2019 की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव [illegible] अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक २२.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
[illegible]करणपुर जिला श्रीगंगानगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2022/640
दिनांक :–22.12.2022

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 05/2022 अनवान मैसर्स मोहन सन्स एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मलकाना कलां आदि अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 22.12.2022 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2022 के अनुसार अपील अपीलान्ट विरुद्ध इन्तकाल संख्या 442 दिनांक 20.08.2019 चक 1 यू, भली-भांति साबित ... को जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर को चक 1 यू, पटवार हल्का केसरीसिंहपुर भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर के मुरब्बा नम्बर 62 की 3.795 है. भूमि में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2019 की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:56 IST
Reason: SelfAttested